



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220762
CG-DL-E-30072020-220762

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2210]
No. 2210]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SHRAVANA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का.आ. 2501 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले में NH353D के कि.मी. 97.487 से कि.मी.137.25 (A/P-वडसा-देसाईगंज A/P-वडसा -देसाईगंज) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०४ जुलै, २०२०" को "लाकमत प्रा. लि., नागपूर" और "लाकमत टाईम्स प्रा. लि., नागपूर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले में NH353D के कि.मी. 97.487 से कि.मी.137.25 (A/P-वडसा-देसाईगंज A/P-वडसा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: गडचिरोली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: आरमोरी				
	गांव का नाम: अरसोदा				
1	39	निजी		0.01	बाबुराव विठोबा पित्तुलवार (39)
2	40	निजी		0.03	मुखर महादेव मैद, कमलाबाई गोविंदा धोटे, सायत्रा विस्तारी बुराडे, देवका वासुदेव पिलारे, शोभा पंढरी पारधी, सुंदरा महादेव मैद, केशव सुकाजी मैद, यश्वदा काशिनाथ धोटे, तानाबाई लक्ष्मण तोंडरे, मिराबाई रामचंद्र तलमले, सोमेश्वर वासुदेव मैद, पार्वताबाई दिलीप पारधी, दशरथ वासुदेव मैद, उत्तराबाई तेजराम तुपटे, सुनंदाबाई सुखदेव कुथे, पार्वताबाई वासुदेव मैद (४०)
3	452	निजी		0.1	सदाराम बना धोटे (452)
4	52	निजी		0.26	जयंत प्रभाकर राऊत (५२)

5	53	निजी	0.22	बाबुराव लक्ष्मण मैद, भागरथा लक्ष्मण मैद, गयाबाई लक्ष्मण मैद, अनुसया सिताराम ठाकरे, वच्छला शालीग्राम पारधी, यमंता सुरेश राऊत, ईश्वर बक्षी मैद, विलास बक्षी मैद, सुमन रामकृष्ण राऊत, निर्मला दादाजी दोनाडकर, पार्वता बक्षी मैद, विठोबा कुकसु मैद, दादाजी कुकसु मैद, काकाजी कुकसु मैद, गोपाल वकटु मैद, ललीता नवलाजी धोटे, रुख्मा वकटु मैद, रेवनाथ देवराव मैद अपाक आई वच्छलाबाई देवराव मैद, संदिप देवराव मैद अपाक आई वच्छलाबाई देवराव मैद, अमिता देवराव मैद अपाक आई वच्छलाबाई देवराव मैद, वच्छला देवराव मैद, प्रेमिला भाऊराव मैद, राकेश भाऊराव मैद अपाक आई प्रेमिलाबाई भाऊराव मैद, भाग्यश्री भाऊराव मैद अपाक आई प्रेमिलाबाई भाऊराव मैद, नामदेव फागोजी मैद, भाग्यवान फागोजी मैद, रमेश फागोजी मैद, मिराबाई नामदेव राऊत, सुभद्रा फागोजी मैद (५३)
6	54	निजी	0.03	हरी रामा मैद, नामदेव रामा मैद, सुखदेव रामा मैद, जाईबाई मनोहर तुपटे, तुरसाबाई मनोहर तुपटे, पंढरी रामा मैद, सिताबाई रामा मैद, आनंदाबाई आत्माराम कुथे, सईबाई पुंडलिक सिंगाडे, शेवंताबाई सहादेव राऊत, शांताबाई शेषराव बगमारे, रुख्मा गोमा मैद, बालु गोमा मैद, तुकाराम गोमा मैद, विष्णु गोमा मैद, किशोर रुषी मैद, कल्पना लोमेश तुपट, मंजुळा अनिल नाकतोडे, हिराबाई रुषी मैद, मिराबाई रुषी मैद, मारोती आकोजी मैद, अशोक आकोजी मैद, सिंधु क्रिष्णा दोनाडकर, चंद्रभागा आकोजी मैद

					(५४)
7	56	निजी		0.04	काशिराम भिका दोनाडकर, मोतीराम भिका दोनाडकर, विश्वनाथ भिका दोनाडकर, जानकाबाई भिका दोनाडकर, जयनाबाई मोडकु आठोळे, मैनाबाई बाबुराव बगमारे, रसीका बाजीराव बगमारे (५६)
8	58	निजी		0.15	काशिराम भिका दोनाडकर, मोतीराम भिका दोनाडकर, विश्वनाथ भिका दोनाडकर, जानकाबाई भिका दोनाडकर, जयनाबाई मोडकु आठोळे, मैनाबाई बाबुराव बगमारे, रसीका बाजीराव बगमारे (५८)
9	60	निजी		0.15	सुरेश एकनाथ कुंभारे (६०)
10	61	निजी		0.2	अतुल लक्ष्मणराव जाणी (६१)
11	62	निजी		0.18	अभय लक्ष्मणराव जाणी (६२)
			कुल	1.37	

[फा. सं. NH-12037/85/2015-MAH/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

SO. 2501(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH353D on the stretch of land from Km 97.487 to Km 137.25 (A/P-Wadsa-Desaiganj) in the district of GADCHIROLI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat Pra. Ltd., Nagpur” and “Lokmat Times Pra. Ltd, Nagpur” both dated 04 July, 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH353D in the stretch of land from Km. 97.487 to Km. 137.25 (A/P-Wadsa-Desaiganj) in the district of GADCHIROLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: GADCHIROLI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Armori				
	Viilage: Arsoda				
1	39	Private	Agriculture	0.01	Baburao Vithoba Pittulwar 39
2	40	Private	Agriculture	0.03	Mukharu Mahadeo Manid, Kamlabai Govinda Dhote, Saytra Vistari Burade, Devka Wasudeo Pilare, Shobha Pandhari Pardhi, Sundra Mahadeo Maind, Keshao Sukaji Maind, Yashwada Kashinath Dhote, Tanabai Laxman Tondre, Mirabai Ramchandra Talmale, Someshwar Wasudeo Maind, Parvtabai Dilip Pardhi, Dashrath Wasudeo Maind, Uttarabai Tejram tupte, Sunandabai Sukhdeo Kuthe, Parvtabai Wasudeo Maind 40
3	452	Private	Agriculture	0.1	Sadaram Bana Dhote 452
4	52	Private	Agriculture	0.26	Jayant Prabhakar Raut 52
5	53	Private	Agriculture	0.22	Baburao Laxman Maind, Bhagaratha Laxman Maind, Gayabai Laxman Maind, Anusaya Sitaram Thakre, Vacchhala Shaligram Pardhi, Yamanta Suresh Raut, Ishwar Bakshi Maind, Vilas Bakshi Maind, Suman Ramkrushna Raut, Nirmala Dadaji Donadkar, Parvata Bakshi Maind, Vithoba Kukasu Maind, Dadaji Kukasu Maind, Kakaji Kukasu Maind, Gopal Waktu Maind, Lalita Navlaji Dhote, Rukhma Waktu Maind, Revnath Devrao Maind Minor Mother

					Vacchhalabai Deorao Maind, Sandip Devrao Maind Minor Mother Vacchhalabai Deorao Maind, Amita Devrao Maind Minor Mother Vacchhalabai Deorao Maind, Vacchhala Deorao Maind, Premila Bhaurao Maind, Rakesh Bhaurao Maind Minor Mother Premilabai Bhaurao Maind, Bhagyashree Bhaurao Maind Minor Mother Premilabai Bhaurao Maind, Namdeo Fagoji Maind, Bhagyawan Fagoji Maind, Ramesh Fagoji Maind, Mirabai Namdeo Raut, Subhadra Fagoji Maind 53
6	54	Private	Agriculture	0.03	Hari Rama Maind, Namdeo Rama Maind, Sukhdeo Rama Maind, Jaibai Manohar Tupte, Turasabai Manohar Tupate, Pandhari Rama Maind, Sitabai Rama Maind, Anandabai Atmaram Kuthe, Saibai Pundlik Singade, Shevantabai Sahadeo Raut, Shantabai Sheshrao Bagmare, Rukhma Goma Maind, Balu Goma Maind, Tukaram Goma Maind, Vishnu Goma Maind, Kishor Rushi Maind, Kalpna Lomesh Tupat, Manjula Anil Naktode, Hirabai Rushi Maind, Mirabai Rushi Maind, Maroti Akoji Maind, Ashok Akoji Maind, Sindhu Krishna Donadkar, Chandrabhaga Akoji Maind 54
7	56	Private	Agriculture	0.04	Kashiram Bhika Donadkar, Motiram Bhika Donadkar, Vishwanath Bhika Donadkar, Jankabai Bhika Donadkar, Jaynabai Modku Athole, Mainabai Baburao Bagmare, Rasika Bajirao Bagmare 56
8	58	Private	Agriculture	0.15	Kashiram Bhika Donadkar, Motiram Bhika Donadkar, Vishwanath Bhika Donadkar, Jankabai Bhika Donadkar, Jaynabai Modku Athole, Mainabai Baburao Bagmare, Rasika Bajirao Bagmare 58
9	60	Private	Agriculture	0.15	Suresh Eknath Kumbhare 60
10	61	Private	Agriculture	0.2	Atul Laxmanrao Jani 61
11	62	Private	Agriculture	0.18	Abhay Laxmanrao Jani 62
			TOTAL	1.37	

[F. No. NH-12037/85/2015-MAH/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.